

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
—: अधिसूचना :-

सं०सं०-04/HFA-22/19

2964

दिनांक- 14-11-2019

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के प्राप्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के कंडिका-6.2 में अंकित प्रावधान के अधीन सबके लिए आवास (शहरी) अन्तर्गत अंगीकार कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति (SLMCC) का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र०सं०	पदनाम	धारित पद
1	विकास आयुक्त, बिहार	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	उपाध्यक्ष
3	मिशन निदेशक, PMAY (Urban)	सदस्य सचिव
4	प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव / सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
6	प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
7	प्रधान सचिव / सचिव, उर्जा विभाग	सदस्य
8	प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य

- समिति के द्वारा PMAY(U) लाभुकों को केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के लाभ से आच्छादित करने के लिए सम्बंधित विभागों से समन्वय कर अंगीकार कार्यक्रम के मार्गदर्शिका (प्रति संलग्न) के कंडिका 7.2 के अनुरूप कार्य किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:- यथोक्त।

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-22/19

2964

पटना, दिनांक- 14-11-2019

प्रतिलिपि:- सचिव, आवासन एवं शहरी कार्यमंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त के आप्त सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / प्रधान सचिव, उर्जा विभाग सचिव / सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / सचिव, जल संसाधन विभाग / विशेष सचिव सह निदेशक (PMAY-Urban) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Rishi Singh